संख्या : 15-दो(5)/XXXVI(1)/2006-1-दो(5)/06

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा मे,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 21 मार्च, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 706/राविसेप्रा०, देहरादून/2006-07, दिनांक 14.02.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 2-दो(5)/XXXVI(1)/2006-1-दो(5)/06, दिनांक 27.4.2006 एवं शासनादेश संख्या: 11-दो(5)/ XXXVI(1)/2006-1-दो(5)/06, दिनांक 12.12.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपयोगार्थ संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद संख्या-14 में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मदों में कुल रु० 1,09,000/- (एक लाख नौ हजार रुपये मात्र) की धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का पालन किया जाय ।

(2) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

(3) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-117/XXVII(5)/2007, दिनांक 15.3.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त ।

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 15-दो(5)/ XXXVI(1)/2006-1-दो(5)/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।

2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

बी एम–15

पुनर्विनियोग 2006–2007 आयोजनेतर

नियंत्रक अधिकारी का नाम– सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ।
प्रशासनिक विभाग का नाम– न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

(धनराशि हजार रुपया में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार आवश्यकता व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है ।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00–					2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00				[illegible]
14–कार्यालय प्रयोजनार्थ स्टाफ कार्स/मोटर गाड़ियों का क्रय	521	411	–	110	04–यात्रा व्यय	25	75	412	[illegible]
					05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	84	134		
कुल धनराशि	521	411	–	110		109	209	412	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या– –क/XXVII(5)/2007
देहरादून : दिनांक : मार्च 2007
पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(एन०एस०नपलच्याल)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या– 15–दो(5)XXXVI(1)2006–1–दो(5)06–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग–5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)